प्रेस नोट दिनांक 29.09.2023

(1). आज दिनांक 29.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनाँक 29.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन श्री रामाधार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा बाइक चोरी की घटना का सफल अनावरण कर चोरी की बाइक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक दिनांक 17.09.2023 को श्री सुमित कुमार वर्मा पुत्र सुदामा प्रसाद वर्मा निवासी पासी तिराहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी गयी कि उनकी लाल काली बजाज पल्सर बाइक रजि0 नं0 DL75 BP 3740 अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली है । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 567/2023 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा उ0नि0 श्री रामाधार सिंह को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया । उ0नि0 रामाधार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 29.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर चमड़ा मण्डी की ओर जाने वाली सड़क से अभियुक्त शनि उर्फ अश्वनी धुरिया उर्फ गोताखोर पुत्र राकेश धुरिया निवासी एसडीएम कालोनी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को चोरी की लाल काली बजाज पल्सर बाइक रजि0 नं0 DL 75 BP 3740 के साथ गिरफ्तार किया गया । चोरी की बाइक बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

शनि उर्फ अश्वनी धुरिया उर्फ गोताखोर पुत्र राकेश धुरिया निवासी एसडीएम कालोनी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-</u>

1. मु0अ0सं0 671/2020 धारा 323,354,452 भादवि व 08 पोक्सो एक्ट
2. मु0अ0सं0 11103/2016 धारा 380,411 भादवि0
3. मु0अ0सं0 1141/2016 धारा 457,380,411,436 भादवि
4. मु0अ0सं0 567/2023 धारा 379,411 भादवि0

<u>बरामदगीः-</u>

चोरी की बाइक लाल काली बजाज पल्सर DL 75 BP 3740

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामाधार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. मुख्य आरक्षी राहुल देव
3. आरक्षी दीपांकर सिंह

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 569/2023 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के वांछित अभियुक्त सत्यनारायण पुत्र ब्रजेश कुमार 2. ब्रजेश कुमार पुत्र बैजनाथ 3.सहोद्र पत्नी ब्रजेश कुमार निवासी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी अमित तिवारी
3. आरक्षी शिवानी सिंह चन्देल

(5). उ0प्र0 सरकार की महात्वकांक्षी योजना स्टूडेंट पुलिस कैडेट (SPC) के तहत आज दिनाँक 29.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में नोडल अधिकारी SPC क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय पर्यवेक्षण में थाना पहाड़ी के SPC पुलिस अधिकारी वरि0उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय एवं थाना सरधुवा के SPC पुलिस अधिकारी उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी द्वारा अपने अपने क्षेत्र के SPC कार्यक्रम हेतु चिन्हित विद्यालय के छात्र/छात्राओं को जिलाधिकारी कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भ्रमण कराया गया। इस दौरान थाना पहाड़ी क्षेत्र के उच्चतर प्राथमिक विद्यालय ओरा व राजकीय हाई स्कूल नोनार तथा थाना सरधुवा के राजकीय हाई स्कूल सुरसेन के छात्र/छात्राओं को जिलाधिकारी कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में होने वाले कार्यों एवं उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में समझाया गया।

जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द द्वारा छात्रों से वार्ता की तथा छात्रों को जिलाधिकारी कार्यालय से होने वाले कार्यों के सम्बन्ध में बताया गया। महोदय द्वारा सभी छात्रों को SPC कार्यक्रम के सम्बन्ध में बताया गया एवं कहा गया कि छात्रों का इस प्रकार से भ्रमण कार्यक्रम प्रतिमाह आयोजित किया जाये।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा छात्रों से वार्ता की गयी तथा छात्रों बाल अपराध एवं घरेलु हिन्सा के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। महोदया द्वारा सभी छात्रों को बाल अपराध एवं घरेलु हिन्सा से बचाव हेतु उपाय बताये गये। महोदया द्वारा बताया गया कि SPC कार्यक्रम के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है, इससे छात्रों को पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है एवं पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी दी जा रही है। छात्रों का पुलिस कार्यालय का भ्रमण करा कर पुलिस कार्यालय में स्थित सभी शाखाओं के कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।

इस कार्यक्रम में प्रधानचार्य पूर्व माध्यमिक विद्यालय ओरा श्री सर्वजीत सिंह, सहायक अध्यापक श्री अजीम मोहम्मद, राजकीय हाई स्कूल से सहायक अध्यापक श्रीमती गुंजन सिंह एवं सुश्री सुरभी तथा राजकीय हाई स्कूल सुरसेन से सहायक अध्यापक श्री अनिल कुमार शर्मा व श्री सूर्य भूषण पाण्डेय साथ में रहे।

(6). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी एवं पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री

सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जेएम मऊ चित्रकूट सुश्री संघमित्रा द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 119/2014 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त मूलचन्द्र केवट पुत्र अदालती केवट निवासी भट्टा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 25 दिन का कारावास व 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 30.04.2014 को थाना मऊ में नियुक्त तत्कालीन उ0नि0 श्री शहनशाह हुसैन अभियुक्त मूलचन्द्र केवट उपरोक्त को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया था । आरोपी के विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 119/2014 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । तत्कालीन उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी एवं आरोपी के विरुद्ध दिनाक 26.05.2014 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन तथा मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री भास्कर मिश्रा एवं पैरोकार आरक्षी आकाश यादव एवं मोनिटरिंग सेल प्रभारी श्री जयप्रकाश उपाध्याय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 199/2021 धारा 363,366,376 भादवि0 व 03/04 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त राधे सिंह उर्फ राधेश्याम सिंह पुत्र बद्री सिंह निवासी महुआ गांव थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 14.10.2023 को थाना राजापुर में थाना क्षेत्र के एक वादी द्वारा सूचना दी गयी थी कि राधे सिंह उर्फ राधेश्याम सिंह उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है एवं उसके साथ दुराचार किया गया । इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 199/2021 धारा 363,366,376 भादवि0 व 03/04 पॉक्सो एक्ट बनाम राधे सिंह उर्फ राधेश्याम सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना उ0नि0 श्री प्रभाकर उपाध्याय द्वारा की गयी माह फरवरी 2022 में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक 06.04.2022 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था ।

(8). आज दिनाँक-29.09.2023 को श्रीमान जिला जज महोदय श्री विकास कुमार प्रथम, श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सूर्यकान्त धर दुबे, श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान आकस्मिक रुप से चिन्हित कर बंदी बैरिकों, भोजनालय, अस्पताल का निरीक्षण किया गया । महोदय द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों का समय समय स्वास्थ्य परीक्षण करने हेतु निर्देश दिये गये । निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।